


**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग,**  
**महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

**// संशोधित अधिसूचना //**

नया रायपुर, दिनांक 13/12/2017

क्रमांक एफ 10-5/2016/16 :- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत असंगठित कर्मकारों के लिये संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना के संबंध में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.12.2016 के बिन्दु (ब) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (iv) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक के संबंध में स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र आवश्यक को विलोपित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(तीरथ प्रसाद लड़िया)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक 13/12/2017


पृष्ठांकन एफ 10-5/2016/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला- ..... (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)।
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय ..... (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ0ग0)।
9. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग